

वन अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र

ग्राम पंचायत का नाम- वीरपुर

तहसील- डुंडा

जिला- उत्तरकाशी

परियोजना का नाम- HQ Line

RoW permission for laying Optical Fibre Cable Aerial (approx. 35 poles per km.)

From - जगुन बैरिफ्ट - नालुपानी, धरालु बेंड - कुलमाजी गाँव

Total length- km.) तक मोटर मार्ग के किनारे ऑप्टिकल फाईबर केबल बिछाने हेतु आपेक्षित है0
वन भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के तहत गैर वानिकी कार्य हेतु VINDHYA
TELELINKS LIMITED, EPC DIVISION, INDUSTRIAL AREA, PHASE-8B
MOHALI (PUNJAB) को भूमि प्रत्यावर्तन की अनुमति दिये जाने का प्रस्ताव।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत वीरपुर द्वारा दिनांक 23/11/2017 को सम्पन्न
ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आभेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति
प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम 2005 के प्राविधानों के
तहत आभेदित वनभूमि के आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी अथवा कृषि कार्य है अथवा नहीं।
उपस्थित ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया है कि उक्त वनभूमि में आदिवासी अथवा गैर आदिवासी अथवा
कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण से आभेदित वन भूमि पर ग्राम
वासियों का परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्रामसभा सर्वसम्मति द्वारा निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम
के ग्रामवासियों को उक्त परियोजना के निर्माण हेतु अपेक्षित 0.582 है0 (वन स्वरूप) बंजर भूमि का (संरक्षण)
1980 के तहत गैरवानिकी कार्य हेतु VINDHYA TELELINKS LIMITED, EPC DIVISION,
INDUSTRIAL AREA, PHASE-8B MOHALI (PUNJAB) के पक्ष में ऑप्टिकल फाईबर
बिछाये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

है0

ग्राम पंचायत- वीरपुर (डुंडा)
विन्ध्या डुंडा, उत्तरकाशी

मोहर सहित ।

है0

प्रयोक्ता एजेन्सी

ग्राम प्रधान
मोहर सहित
विन्ध्या डुंडा (उत्तरकाशी)